भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1813

09 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी नियोजन एवं परिवहन नीति की विफलता

1813 # श्री नीरज डांगीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान शहरी नियोजन और परिवहन प्रणालियाँ सार्वजनिक परिवहन की तुलना में निजी वाहनों को अनुपातहीन रूप से अधिक प्राथमिकता देती हैं, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या और अधिक गंभीर हो रही है;

(ख) क्या सरकार गैर-मोटर चालित परिवहन, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे प्रमुख महानगरों में इन सुधारों को लागू करने की क्या समय-सीमा है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) : शहरी परिवहन शहरी नियोजन का एक हिस्सा है, जो राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें अपने शहरों में स्थायी परिवहन प्रणाली के लिए आवश्यक शहरी परिवहन प्रणाली की योजना बनाने, उसका कार्यान्वयन करने और उसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें यथा आवश्यक गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी), बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस), मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, सुधारों का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं। हालांकि, भारत सरकार ने शहरी नियोजन और परिवहन व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006, मेट्रो रेल नीति 2017, पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी) नीति

2017 और अन्य नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब तक, 26 विभिन्न शहरों में लगभग 1123 किलोमीटर की मेट्रो रेल लाइनें चालू हैं। इसके अतिरिक्त, पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत, 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 116 शहरों के लिए 10,000 वातानुकूलित ई-बसें स्वीकृत की गई हैं, साथ ही संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की गई है।

*****